पत्रांक–3ए–8–बैठक–07 / 2018–................................ / वि०

बिहार सरकार

वित्त विभाग।

प्रेषक,

लोकेश कुमार सिंह,
सचिव (संसाधन)।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव,
सभी विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक : ....

विषय :– **विभिन्न स्तर के लोक–सेवकों / पदाधिकारियों के उपयोग के लिए सरकारी वाहन क्रय हेतु व्यय की अधिसीमा निर्धारण के संबंध में।**

महाशय ,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभागीय पत्रांक–7487, दिनांक–08.11.2021 द्वारा माननीय मंत्री / उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश एवं समकक्ष के उपयोग के लिए सरकारी वाहन क्रय हेतु व्यय की अधिसीमा **₹ 30 लाख** निर्धारित है। शेष पदधारकों के उपयोग के लिए सरकारी वाहन क्रय हेतु व्यय की अधिसीमा (जिसमें वाहन की ऑन रोड कीमत एवं साज–सज्जा में होने वाले अन्य व्यय भी शामिल हैं) का निर्धारण मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित प्रशासी पदवर्ग समिति की अनुशंसा पर सरकार द्वारा किया गया है। उक्त के आलोक में सरकारी वाहन के क्रय हेतु निम्नवत् अधिसीमा निर्धारित की जाती है :–

(i)	अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव एवं समकक्ष के लिए	₹ 25 लाख
(ii)	जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रत्येक जिला न्यायमंडल में एक) / जिला पदाधिकारी एवं समकक्ष के लिए	₹ 20 लाख
(iii)	पुलिस अधीक्षक एवं समकक्ष के लिए	₹ 16 लाख
(iv)	अन्य पदाधिकारी (जिन्हें वाहन अनुमान्य है) के लिए	₹ 14 लाख

विश्वासभाजन

ह0 / –

(लोकेश कुमार सिंह)
सचिव (संसाधन), वित्त विभाग।

ज्ञापांक : 3ए–8–बैठक–07 / 2018–............. / वि० पटना, दिनांक : ....

प्रतिलिपिः महालेखाकार (लेखा एवं हक०) का कार्यालय, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना–800001 को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0 / –

(लोकेश कुमार सिंह)
सचिव (संसाधन), वित्त विभाग।

ज्ञापांक : 3ए–8–बैठक–07 / 2018–10517 / वि० पटना, दिनांक : 28/11/2023

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट शाखा / **सिस्टम एनालिस्ट,** वित्त विभाग, बिहार, पटना को वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।

(लोकेश कुमार सिंह)
सचिव (संसाधन), वित्त विभाग।

28/11/2023

L.Fol. 2023\PPS-20.10.2023 (Anil)